विवरण

चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के थोक बिक्री और खुदरा बिक्री मूल्य

(1.7.98 की स्थिति के अनुसार)

(थोक बिक्री रु० प्रति क्विंटल
खुदरा बिक्री रु० प्रति कि० ग्रा०

मद	दिल्ली		मुम्बई		चेन्नई		कलकत्ता	
	थो०मू	खु०मू	थो०मू	खु०मू	थो०मू	खु०मू	थो०मू	खु०मू
चावल	890	10.00	1000	12.00	705	8.50	900	9.50
गेहूं	580	6.50	955	12.00	955	11.50	स्०न०	7.00
चना	1300	16.00	1801	22.00	1209	16.00	1400	20.20
अरहर	2400	29.00	3125	34.00	2617	29.00	2950	30.00
चाय	12500	130.00	स्०न०	140.00	18100	187.50	स्०न०	.80.00
चीनी	1225	16.00	1478	16.00	1443	15.00	1600	16.50
वनस्पति	5300	56.00	4733	52.75	4347	50.00	5233	55.00
मूंगफली का तेल	5133	56.00	4800	54.00	4294	48.00	5600	65.00
सरसों का तेल	4467	50.00	4367	54.00	4487	48.00	4700	48.00
नमक	530	6.00	500	6.00	520	7.00	स्०न०	6.00
आलू	650	10.00	825	11.50	922	11.00	675	8.00
प्याज	675	12.00	825	11.00	900	11.00	875	10.00

थो०मू०—थोक मूल्य खु०मू० — खुदरा मूल्य
स्०न०—सूचित नहीं किया
स्रोत:—राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को रियायती दर पर राशन की आपूर्ति

2635. **श्री रामगोपाल यादव:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता** मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं तथा प्रदेश की कुल आबादी में उनकी प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें रियायती दरों पर राशन उपलब्ध कराने के लिए कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है तथा क्या उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को उपर्युक्त निर्णय के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रति परिवार और प्रति व्यक्ति आवंटन दर क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) स्वर्गीय प्रो० लाकड़ावाला की अध्यक्षता में गठित गरीबों की संख्या और अनुपात से सम्बद्ध "विशेषज्ञ दल" की विधि को अपनाते हुए योजना आयोग द्वारा 1993-94 के लिए तैयार किए गए अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की संख्या 604.46 लाख हैं जो राज्य की जनसंख्या का 40.85 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) जी, हां। जून, 1997 से शुरू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बीच वितरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्यों को विशेष सब्सिडिप्राप्त मूल्यों पर प्रतिमाह प्रति परिवार 10 किलोग्राम खाद्यान्न जारी किए जाते हैं। राज्य सरकार की इच्छा के अनुसार उपर्युक्त मात्रा में या तो चावल भेजे जाते हैं अथवा गेहूं अथवा चावल और गेहूं दोनों ही भेजे जाते हैं। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया खाद्यान्नों का मासिक कोटा 31500 टन चावल का और 64000 टन गेहूं का है।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार को 10 किलोग्राम खाद्यान्न अर्थात् 3/- रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर 7 किलोग्राम गेहूं और 4/- रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर 3 किलोग्राम चावल मुहैया किया जाता है।

Production of Vegetable Oils in Maharashtra

2636. MISS. SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total number of units engaged in production of vegetable oils in the State of Maharashtra particularly in the Vidarbha region as on the date with their capacity of production;

(b) how far the capacity is being utilised by the units in the State; and

(c) what incentives are being given to the entrepreneurs engaged in vegetable oil production in the State by the State and Central Governments?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) According to available information, the total number of units engaged in production of vegetable oils in the State of Maharashtra including Vidarbha region is as follows:—

		No.	Installed capacity (lakh MT per annum)
(i)	Solvent Extraction Units	78	34.1
(ii)	Independent Refineries	10	0.9
(iii)	Vansapati Units	19	3.2

As a result of de-licensing of the vegetable oil industry w.e.f. 25th July, 1991, no authentic information about the number of oilseed crushing units is available.

(b) The Overall capacity utilisation is less than 35%

(c) No incentive exclusively for entrepreneurs engaged in vegetable oil production is being given by the Central Government.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा राजस्थान में रखा गया खाद्यान्नों का भंडार

2637. **श्री ओंकार सिंह लखावत: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम ने देश में वर्ष 1996-97 के खाद्यान्नों तथा वर्ष 1997 की रबी फसल के खाद्यान्नों की कुल कितनी मात्रा का भंडार किया था;

(ख) उन गोदामों में से कुल कितने गोदाम राजस्थान में है, जिनके ऊपर छतें हैं तथा जो चारों ओर से बंद हैं और उनकी भंडारण क्षमता कितनी है;

(ग) राजस्थान में कुल कितने गोदाम खुले स्थानों में है ऐसे कितने गोदाम देशनोक (बीकानेर) में हैं; और

(घ) इस वर्ष देशनोक में खुले गोदामों में वर्षा के कारण कितनी मात्रा में खाद्यान्न बर्बाद हुए तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यापाल सिंह यादव): (क) 31.7.1997 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा भण्डारित खाद्यान्नों की कुल मात्रा 122.79 लाख टन थी और 31.3.1998 को स्थिति के अनुसार रबी फसल का 31.48 लाख टन गेहूं भण्डारित था।

(ख) 31.5.1998 को स्थिति के अनुसार राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध ढ़के हुए अथवा ढ़के हुए ढांचों वाले गोदामों की कुल संख्या 73 है और इन गोदामों की भण्डारण क्षमता 9.43 लाख टन है।

(ग) और (घ) राजस्थान में जो गोदाम खुले स्थानों पर हैं उनकी कुल संख्या 23 है। देशनोक (बीकानेर) भारतीय खाद्य निगम में कोई खुला गोदाम नहीं है।